न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–डा. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 20/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/138

निगरारीकार

शिवसिंह राठौड़ (रिटायर्ड कमाण्डेड) पुत्र स्व. पन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी कालवा बड़ा तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

गैरनिगरानीकार

1. सरपंच ग्राम पंचायत कालवा बड़ा पंचायत समिति मकराना जिला डीडवाना–कुचामान।
2. रणवीर सिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी कालवा बड़ा तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।
3. प्रेमसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी कालवा बड़ा तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

पुनर्विलोकन याचिका बाबत् न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 27.09.2016 शीर्षक शिवसिंह राठौड़ बनाम सरपंच ग्राम पंचायत कालवा, निगरानी संख्या 03/2016 के सम्बन्ध में।

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र माथुर अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री अजीत सिंह अधिवक्ता गैर निगरानीकार की ओर से।

:–निर्णय–:

दिनांकः 22.07.2025

प्रार्थी की ओर से निम्न पुनर्विलोकन याचिका इस प्रकार हैः–

1. प्रार्थी शिवसिंह ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक निगरानी क्रमांक 03/16 बाबत् पट्टा क्रमांक 68 दिनांक 15.12.1985 ग्राम पंचायत कालवा को निरस्त करवाने बाबत् पेश की थी। जिस बाबत् समस्त तथ्य मूल निगरानी याचिका में दर्ज है।
2. उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर होकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये तथा अप्रार्थी गैर निगरानीकार रणवीर सिंह की और से दिनांक 19.02.2016 को एक प्रारम्भिक आपत्ति का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसका जवाब दिनांक 27.05.2016 को निगरानीकार शिवसिंह की ओर से प्रस्तुत कर दिया गया।
3. दिनांक 27.09.2016 को गैर निगरानीकार रणवीर सिंह की उक्त आपत्ति को स्वीकार करते हुये न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त आपत्ति बाबत् मियाद बिन्दु पर

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:40:57 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थी निगरानीकार शिवसिंह की उक्त निगरानी को मयाद बहार होने से खारिज कर दिया। जिस आदेश दिनांक 27.09.2016 के सम्बन्ध में यह पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत है। जिस पुनर्विलोकन याचिका के प्रमुख आधार इस प्रकार है:–

(i) मूल निगरान प्रकरण में प्रस्तुत पट्टा संख्या 68 दिनांक 15.12.1985 जो पट्टा रणवीर सिंह के नाम बताया है वह पट्टा पूर्णतया कुटरचित एवम् फर्जी पट्टा है इस पट्टा का किसी प्रकार का कोई अभिलेख ग्राम पंचायत में अवस्थित नहीं है। प्रार्थी की पट्टा शुद्धा जामीन का यह फर्जी पट्टा अप्रार्थी रणवीर सिंह ने कुटरचना कर बनाया है। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टा पूर्णतया व अविधिक है और अविधिक एवम् कुटरचित पट्टा के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिलते है यह भी विदित रहे कि यदि पट्टा कुटरचित है और अविधिक है तो उसके निरस्त कराने के बारे में मयाद अधिनियम को कोई अवधि दी हुई नहीं है। माननीय राज. उच्च न्यायालय के इस सम्बन्ध में निर्णय भी स्पष्ट है कि कुटरचित एवम् अविधिक दस्तावेज को निरस्त कराने की कोई समयावधी नहीं है। क्योकि कुटरचित एवम् फर्जी दस्तावेज से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं मिल जाते है ऐसी स्थिति में विपक्षी के लिये वह दस्तावेज तो प्रारम्भ से ही शुन्य एवम् अविधिक है फिर भी श्रीमान् द्वारा केवल मात्र गैर निगरानीकार रणवीरसिंह के आवेदना पर प्रथम दृष्टया गौर कर उक्त निगरानी मात्र मयाद के बिन्दु पर तय कर निरस्त किया है जिस पर पुर्नविचार/पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है।

(ii) दिनांक 21.01.2016 को प्रार्थी की निगरानी जब दर्ज रजिस्ट्रर की गयी थी उस समय ही प्रथम दृष्टया निगरानी को मयाद में मानते हुये ही दर्ज किया गया था निगरानी के दर्ज करते सतय भी कोई संशर्त आदेश मयाद के बिन्दु पर पारित नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में विधिक रूप से यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि निगरानी को गुणावगुण पर ही निस्तारित किया जाता। उक्त निगरानी को गुणावगुण पर सुनकर निस्तारण करने का निवेदन है।

(iii) निगरानीकार प्रार्थी शिवसिंह के ... से ... अभिवचन है कि उक्त पट्टा की पहले कभी कोई जानकारी निगरानीकार ... नहीं थी। श्रीमान् कलेक्टर महोदय के यहां जब प्रार्थी शिवसिंह ने जब ... तो उसे न्यायालय श्रीमान् के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:40:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

निगरानी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जो सन् 2015 में दिये गये थे। इस बाबत् प्रार्थी निगरानीकार के अपनी मूल याचिका में अभिचवचन भी है। तब निगरानी मयाद बाहर नहीं हो सकती है। क्योकि राज. पंचायत अधिनियम एक विशिष्ट अधिनियम है और उक्त अधिनियम में निगरानी की कोई मियाद पृथक से दी हुई नहीं है। माननीय राज. उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह सुस्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि चूंकि राज. पंचायत अधिनियम का अनुच्छेद 137 को ही इसमें लागू किया जा सकता है। जिस अनुच्छेद के अन्तर्गत निगरानी करने का अधिकार की अवधि निगरानी के हैतुक से 03 वर्ष तक की है। तब मर्यादा अधिनियम का अनुच्छेद 131 व इसमें वर्णित 90 दिन के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं हो सकते है जिन तथ्यों पर पुनःविचार कर पुनर्विलोकन किया जाना न्यायोचित है।

4. उक्त पुनर्विलोकन का आदेश दिनांक 27.09.2016 का है उक्त आदेश के सम्बन्ध में प्रार्थी को अनेकों लोगों ने अजमेर राजस्व मण्डल या संभागीय आयुक्त के समक्ष कार्यवाही करना बताया। प्रार्थी सद्भावना से इसे सही राय मानते हुये अजमेर में अनेकों विधि वेताओं के पास गया एवम् कार्यवाही का निवेदन किया जिसमें उसे लगभग 20 दिन लग गये। अन्ततः प्रार्थी अपने जानकार अधिवक्ता अरूण जी माथुर परबतसर से मिला। जिन्होने वापस डीडवाना में किसी अधिवक्ता से मिलकर पुनर्विलोकन याचिका के सम्बन्ध सद्भावी राय दी तो प्रार्थी दिनांक 15.11.2016 को डीडवाना आया व अधिवक्ता से समुचित राय लेकर यह याचिका प्रस्तुत करता है याचिका प्रस्तुत करने में जो लगभग 18–19 दिन का विलम्ब हुआ है वह उपरोक्त सद्भावी कारणों से क्षम्य है। जिस बाबत् पृथक से धारा 05 मर्यादा अधिनियम का आवेदन पेश किया जा रहा है। पुनर्विलोकन याचिका के साथ निश्चित कोर्ट फीस पेश है। पुनर्विलोकन याचिका को सुनने व तय करने का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश है।

अतः पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की उक्त याचिका स्वीकार करने की कृपा करें न्यायालय श्रीमान् के उक्त आदेश दिनांक 27.09.2016 पर पुनः विधिक मंशा अनुसार गौर कर सम्पूर्ण प्रकरण की की गुणांवगुण

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:40:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

पर सुनवाई करने की कृपा करे तथा उक्त निर्णय दिनांक 27.09.2016 को अपास्त करने की कृपा करें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि एक निगरानी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना में दिनांक 21.01.2016 को उनवान शिवसिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत कालवा बडा पेश की थी। उक्त निगरानी दर्ज होकर सुनवाई में विचाराधीन थी। उक्त निगरानी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2016 को लिमिटेशन से बाहर मानते हुए खारिज कर दिया जबकि उक्त निगरानी को गुणावगुण पर सुनकर निर्णय पारित किया जाना था। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सम्पूर्ण प्रकरण की गुणावगुण पर सुनवाई करने की कृपा करें तथा उक्त निर्णय दिनांक 27.09.2016 को अपास्त करने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त निगरानी की जानकारी पहले से थी। पूर्व में सिविल न्यायालय में वर्ष 2002 में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी पक्षकार थे तथा इनको वर्ष 2002 से उक्त प्रकरण की जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह सही पारित किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त पक्षकारों की विधि सम्मत सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

22.07.25

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:40:57 IST
Reason: SelfAttested